मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1936

14.03.2017 को उत्तर के लिए

ईंट के भट्टों के कारण प्रदूषण

1936. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईंट भट्टा इकाइयों के कारण काफी प्रदूषण होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या इन इकाइयों को अपने प्रचालन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है;

(ग) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान बोर्ड-वार विभिन्न बोर्डों द्वारा प्राप्त और स्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ईंट भट्टा इकाइयों को अपने प्रचालन से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या ईंट और टाइल भट्टों के मालिकों ने इस मुद्दे पर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इन इकाइयों के प्रचालनों को विनियमित करने और प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री अनिल माधव दवे)

(क) से (ग) ईंट भट्टे के लिए यथाप्रयोज्य संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापना अनुमति/प्रचालन अनुमति लेना आवश्यक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने वर्ष 2016 के दौरान क्रमश: 3556,2996, 2913 और 94 भट्टों को अनुमति दी है।

(घ) जी, नहीं।

(ड.) मंत्रालय को ईंट भट्टा संचालकों/संघों से उनके द्वारा समय-समय पर झेली जा रही विभिन्न समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं।

(च) स्थापना अनुमति और प्रचालन अनुमति देते समय ईंट भट्टा इकाइयों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों द्वारा अधिसूचित मानकों और लगाई गई शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

*****